कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 1462 **दिनांकः–** 06/12/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत लाई खालसा रिजर्व फॉरेस्ट एवं पैलापत्थल रिजर्व फॉरेस्ट में कुल 166.00 हे0 वनभूमि का पलामू ब्याघ्र परियोजना के लाटू, कुजरूम एवं अन्य गाँवों के स्वैच्छिक पुनर्वास (Voluntary relocation) हेतु वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 1302 दिनांक 04.10.2021 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1745 दिनांक 12.11.2021**

महाशय,

प्रांसगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना FP/JH/FVC/146641/2021 में Voluntary relocation हेतु कुल **166.00** मात्र (R/F) अधिसूचित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुआ।

प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अपयोजन हेतु प्रस्तावित 166 हे0 वनभूमि में कुल 52876 वृक्ष प्रतिवेदित है। जिनमे से कुल 15064 वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि में प्रति हे0 औसतन 166 वृक्ष है तथा प्रति हे0 लगभग 91 वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित स्थल पर अधिक वृक्ष होने के कारण यह प्रतित हुआ कि स्वैच्छिक पुर्नवास हेतु इतने सघन वन क्षेत्र का चयन किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF) के अनुमोदनोपरांत इस कार्यालय के पत्रांक 1372 दिनांक 03.11.2021 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से मंतव्य हेतु अनुरोध किया गया कि *''ऐसे घने स्थल पर विस्थापन किया जाना प्रथम दृष्टया तार्किक प्रतीत नही होता है। क्या कोई विरल स्थल नजदीक में उपलब्ध नहीं है। जहाँ विस्थापन किया जा सके।''*

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1745 दिनांक 12.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है। जो निम्नवत् हैः–

(1) यह कि क्षेत्रीय वन पदाधिकारियों ने प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि उपायुक्त, लातेहार तथा उपायुक्त, पलामू द्वारा गैर वनभूमि की अनुपलब्धता प्रतिवेदित है। साथ ही, उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि वैकल्पिक पुनर्वास योग्य भूमि की तलाश की गई तथा ग्रामीणों द्वारा मात्र उपर्युक्त विषयक वनभूमि पर विस्थापित किये जाने के शर्त्त पर ही सहमति प्रदान की गई है।

*(2) यह कि जहाँ तक वनों के घनत्व अथवा बिरलता का प्रश्न है, इस संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा व्याघ्र आरक्ष के अंतर्गत पड़ने वाले ग्रामों के **Voluntary relocation** हेतु प्रदत्त वनभूमि अपयोजन की अनुशंसा संबंधी कतिपय मामलों का विवरण निम्नवत् समर्पित किया जा रहा है :*

S.No.	Proposal No. /FAC meeting date	Name of the Tiger Reserve	Name of the village	Area of forest land diverted (ha.)	No. of involved in felling	Canopy Density
1	F.No.8-17/2017-FC /25.04.2017	Satpura Tiger Reserve (MP)	Sakai Tola II	150.00	12,143	0.4-0.6
2	F.No.8-18/2017-FC /25.04.2017	-do-	Mana Part I	215.00	37,821	0.5-0.7
3	F.No.8-19/2017-FC /25.04.2017	-do-	Mana Part II	270.00	22,577	0.6-0.7
4	F.No.8-20/2017-FC /25.04.2017	-do-	Malani Part I	174.00	41,852	0.4-0.6
5	F.No.8-34/2017-FC /15.06.2017	-do-	Malani Part II	285.70	33,827	0.2-0.3

उपर्युक्त वर्णित मामलों से संबंधित FAC meeting के minutes की छायापति सुलभ संकेत हेतु इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। (छायाप्रति संलग्न अनु0–सं0 01)

(3) यह कि यदि North Koel Reservoir Project के निर्माण हेतु पलामू व्याघ्र आरक्ष्य के अधीन Very Dense Forest (VDF) में कुल 3,44,644 वृक्षों (1007.29 हे० वनभूमि) के पातन तथा अन्य Development Projects यथा mining/linear infrastructure के निर्माण में वनभूमि के अपयोजन के क्रम में लाखों वृक्षों की कटाई आपके कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुशंसित की गई है तो उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव में मात्र 15064 वृक्षों के पातन को अतार्किक ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

(4) यह कि उक्त Village relocation से PTR के अधीन करीब 25000 हे० क्षेत्र Human disturbance free होना क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित है तथा इसके फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी होगा।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध होगा कि झारखण्ड के एकमात्र व्याघ्र आरक्ष्य (पलामू व्याघ्र आरक्ष्य) में बाघों तथा अन्य वन्यजीवों के लिए व्यवधान मुक्त क्षेत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विषयक प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए शीघ्रातिशीघ्र अग्रसारित करने की कृपा करेंगे।''

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के प्रतिवेदन के आलोक में पुनः प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF) से पुर्न विचार हेतु अनुरोध किया गया। जिस पर उनका अनुमोदन प्राप्त है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे0 में	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा हे0 में	कुल रकबा हे0 में	वनस्पति घनत्व
1	लातेहार	**166.00**	शून्य	**166.00**	**0.55**

2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form A Part-I में आवेदन अभियुक्ति दर्ज करते हुये ऑन–लाईन आवेदन संलग्न है। साथ ही भारत सरकार के Website पर निर्धारित format मे Form A Part-I में अभियुक्ति दर्ज कर अपलोड किया गया है।
3. प्रस्ताव के साथ Justification संलग्न है।
4. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेशन संलग्न है।

5. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार निम्नवत् है :–

Forest Division Latehar

Village	Plot No.	Area in Acre	Area in hectare	Remarks
Lai (RF)	356	18.29	7.40	
	205	22.63	9.16	
	362	1.21	0.49	
Total :-		**42.13**	**17.05**	
Pailapathal (RF)	52	72.6	29.38	
	46	28.81	11.66	
	47	69.11	27.97	
	50	77.69	31.44	
	57	26.07	10.55	
	45	2.20	0.89	
	16	37.63	15.23	
	53	47.81	19.35	
	99	6.13	2.48	
Total :-		**368.05**	**148.95**	
Grand Total :-		**410.18**	**166.00**	

6. प्रश्नगत प्रस्ताव PTR में अवस्थित Kujrum & Latu एव अन्य गाँवों के relocation हेतु कुल 166.00 हे0 वनभूमि में लातेहार वन प्रमंडल में अपयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित अपयोजन लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत लाई खालसा रिजर्व फॉरेस्ट एवं पैलापत्थल रिजर्व फॉरेस्ट में किया जाना है। relocation हेतु वर्तमान प्रस्ताव के अतिरिक्ति मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत पोलपोल कलां में भी **133.64 हे0** वनभूमि का प्रस्ताव है। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 1289 दिनांक 22.10.2021 द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
7. प्रस्ताव के साथ पार्ट&II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का मंतव्य दर्ज है। साथ ही भारत सरकार के Website पर निर्धारित format मे Part-II में अभियुक्ति दर्ज कर अपलोड किया गया है।
8. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का Joint स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है।
9. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
10. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर Voluntary relocation का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है।
12. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।

13. वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार के पार्ट–II के कंडिका 4 के उप कंडिका (ii) में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों का Sample Plot के आधार पर वृक्षों की कुल संख्या **52876 वृक्ष अवस्थित** है जिसमे कुल 15064 वृक्षों का पातन होने की सम्भावना है। प्रस्ताव के साथ वृक्षों की प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची संलग्न है।

14. प्रस्ताव के साथ Component-wise breakup of land संलग्न है।

15. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त लातेहार का पत्रांक 11 दिनांक 20.09.2021 द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त है। साथ ही F.R.A से संबंधित ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता नहीं दी गई है। क्योकि भारत सरकार के पत्र F-No.-8-34/2017-FC दिनांक 20.05.2015 के Para 1 (h) में स्पष्ट अंकित है कि "The payment of NPV and Cost of CA may be exempted in all such cases of Voluntory relocation/ rehabilitation of familes from the Protected Areas undertaken within the Forest Land" चूकि यह प्रस्ताव Voluntary relocation हेतु है अतः दिशा निर्देश के तहत इसकी आवश्यकता नहीं है।

17. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में सूचित करना है कि "As per guideline issued by MoEF&CC. Govt of India, forest land proposals involving voluntary relocation/ rehabilitation of families from the protected Areas have been exempted from payment of NPV and CA. Hence on NPV or CA is not applicable in this case"

18. प्रस्तावित वनभूमि **इको सेंसेटीव जोन** (ESZ) में आवस्थित है। इस संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार का पत्र सं0 5-2/2017-FC दिनांक 24.07.2020 एवं पत्रांक F No.-6-60/2020WL Part (I) दिनांक 16.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में स्पष्ट है कि ***"जिन संरक्षित क्षेत्रों का इको सेसेटिव जोन अंतिम रूप से अधिसूचित कर दिया गया है, वैसे क्षेत्रों में केवल उन्हीं परियोजनाओं के मामलों में राज्य वन्यजीव बोर्ड अथवा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी जिनके लिय EIA Notification 2006 (अनुलग्नक संलग्न) की अनुसूची में उल्लखित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी। चूँकि EIA Notification 2006 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कोर क्षेत्र से वनग्रामों के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन कार्य को सूचीबद्ध नही किया गया है, इस मामले में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य वन्यजीव बोर्ड अथवा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में पूर्वानुमति की आवयकता नही है।"***

19. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। परन्तु पी0टी0आर0 एवं **इको सेंसेटीव जोन** (ESZ) में अवस्थित है।

20. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1372 दिनांक 03.11.2021 द्वारा अनुरोध किया गया था। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1745 दिनांक 12.11.2021(छायाप्रति संलग्न) द्वारा मंतव्य प्राप्त है।

21. वन प्रमंडल पदाधिकारी लातेहार ने अपने पार्ट–II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का violation नहीं किया गया है।

22. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा निम्न शर्तो पर अनुशंसा की गई है,

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा अनुशंसा निम्नवत् हैः–

"Palamau Tiger Reserve is one among the first 9 tiger reserves of county and holds the distinction of being the first ever tiger reserve to hold a tiger census way back in 1932. In spite of such glorious history, entire state of Jharkhand had to face the sorrow of being Tiger-less in the All India Tiger Estimation Report -2018. It has witnessed both the pinnacle and bottoms during 75 years of Independence.

Tiger Reserves were constituted for special protection and conservation measures with start of Project Tiger in 1973. An inviolate area for breeding of tigers and proliferation of prey base is required, hence tiger reserves were divided into Core and Buffer

areas. A core areas is the sanctum sanctorum of Tiger Reserves which is to be kept inviolate for breeding of tigers and proliferation of its prey base. Which makes resettlement of villages, mainly which are situated in core area, to be of prime importance. During last 50 years, these has been resettlement of 100s of villages form core areas of different tiger reserves, including from those tiger reserves which were constituted after 25-40 years when Palamu Tiger Reseves was notified, however Palamau Tiger Reserve has failed to resettle even a single family from its core area. This has led to a situation where there is hardly any space for breeding and conservation of tigers. This is the reason, a tiger reserves, once been on top position for harbouring maximum numbers of tigers, is fighting battle for it's existence.

Resettlement of villages from CTH of Palamau Tigers Reserves would make available around 335 Ha of land which would be used a meadow. Apart from this, an area more than 250 sq. Km (25000 Hectares) will be from human disturbance, which would be avialble for breeding and protection of tigers, which would make it possible to recover the tiger population in Palamau Tiger Reserves.

This diversion proposal is the maiden effort to resettle village lying in CTH. This proposal is the maiden effort of revival of tigers in Palamu Tiger Reserves and Jharkhand and also the last hope of salvaging Palamu Tiger Reserves . Not only the hope of wildlife conservationists of Jharkhand but of entire country is attached to this proposal. Hence in the larger interest of Wildlife Conservation, proposal for diversion of 166.00 Ha of Lai-Pailapathal notified forest is Highly Recommended."

Palamu Tiger Reserves को ध्यान में रखते हुये क्षेत्रीय पदाधिकारियों की अनुशंसा एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के मंतव्य के आधार पर स्टेज–I की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस शर्त के साथ अग्रसारित किया जाता है। कि relocation में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत Guideline Letter No. F-No. 8-34/2017-FC date. 20.05.2019 का पालन करना होगा। तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम वृक्षों का पातन किया जाये।

अतः लोकहित/राज्यहित में प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल **166.00** हे0 वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य संरक्षक(HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:–यथोक्त।
मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

6.12.21

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Relocation of Kujrum, Latu & other Villages from Palamau Tiger Reserve, Daltonganj, R.F. 166.00 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

In the Light of recommendation of PCCF-wildlife & Chief wildlife warden received vide Letter No. 1745 dated 12.11.2021 diversion of 166.00 ha of Notified forest land in Lai-Khalsa-Pailapathal Reserve forest is recommended for diversion for voluntary relocation of Kujrum, Lato & other Villages from Palamau Tiger Reserve. Guideline issued vide MOEF & CC Letter No, F-No.8-34/2017-FC dated 20.05.2019 for voluntary relocation of shall be followed and PTR Administration shall try to reduce number of trees to be felled.

Date :- 06.12.2021

Place :- Ranchi

Signature

(AJAY KUMAR RASTOGI)
Nodal Officer
Name & Designation
Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)